कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर

पत्रांक 2239 /DWSM– बैठक / 07 दिनांक–14/07/2025

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत माह मई–जून में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी 74 नग पेयजल योजनाओं में नियमित जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने हेतु दिनांक 14.07.2025 को आहूत समीक्षा बैठक का कार्यवृत्तः–

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद गाजीपुर में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न पाइप लाइन पेयजल योजनाओं की दिनांक–14.07.2025 को हुई समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

1– मुख्य विकास अधिकारी, गाजीपुर।
2– अधिशासी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
3– समस्त सहायक अभियन्ता, जल निगम (ग्रामीण) गाजीपुर।
4– डी0पी0एम0– टी0पी0आई0, मेसर्स मेधज टेक्नो कान्सेप्ट प्रा0लि0, गाजीपुर।
5– प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स लार्सन एंड टुब्रो।
6– प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स वी0एस0ए0 इन्फ्रा प्रोजेक्ट प्रा0लि0 एण्ड एस0एम0सी0 इन्फ्रास्ट्रक्चर।
7–प्रोजेक्ट मैनेजर मेसर्स एच0एफ0सी0एल0।

जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर के निर्देशों के क्रम में कार्यदायी संस्थाओं और जल निगम अभियन्ताओं के साथ मई–जून माह में लक्षित 86 नग पेयजल योजनाओं के सापेक्ष 74 नग योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी योजनाओं में सम्मिलित गृह जल संयोजनों में कम से कम 80 प्रतिशत जलापूर्ति संचालित कराये जाने की समीक्षा की गयी जिसमें कार्यदायी संस्थावार प्रगति का विवरण निम्नावार हैं।

<u>कार्यदायी संस्था मेसर्स एल0 एण्ड टी0ः–</u> संस्था को मई–जून माह में 03 नग योजनाओं में जलापूर्ति कराये जाने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा तीनों योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी थी। इन योजनाओं में सम्मिलित 1082 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष मात्र 874 नग प्रदान किये गये जिसमें मात्र 303 नग क्रियाशील है। जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजनों का मात्र 28.00 प्रतिशत है जबकि दिनांक 02.07.2025 की बैठक में आपका यह प्रतिशत 49.82 प्रतिशत था अर्थात गृह जल संयोजनों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का प्रतिशत पूर्व की तुलना में और कम हो गया है। जबकि जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि यह प्रतिशत बढ़ाकर कम से कम 80 प्रतिशत किया जाय। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था के द्वारा पर्याप्त संख्या में मैनपावर, फिटर, पलम्बर आदि न लगाये जाने के कारण योजना में विद्यमान गैप, लीकेज, ज्वाइंटिंग, शेष गृह जल संयोजन आदि के कार्य प्रभावित हो रहे है।

<u>कार्यदायी संस्था मेसर्स वी0एस0ए0ः–</u> संस्था को मई–जून माह में 30 नग योजनाओं में जलापूर्ति कराये जाने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 27 नग योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी थी परन्तु आज दिनांक 14.07.2025 में योजनाओं की संख्या घटकर 22 हो गयी है। माह मई–जून में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी 27 नग योजनाओं में सम्मिलित 12193 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष मात्र 4918 नग प्रदान किये गये जिसमें मात्र 1627 नग क्रियाशील है। जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजनों का मात्र 13.34 प्रतिशत है जबकि दिनांक 02.07.2025 की बैठक में आपका यह प्रतिशत 19.58 प्रतिशत था अर्थात गृह जल संयोजनों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का प्रतिशत पूर्व से और कम हो गया है जबकि जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में जिलाधिकारी

महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि यह प्रतिशत बढ़ा[illegible] कम 80 प्रतिशत किया जाय। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अव[illegible] गया कि कार्यदायी संस्था के द्वारा पर्याप्त संख्या में मैनपावर, फिटर, पलम्बर आदि न लगा[illegible] कारण योजना में विद्यमान गैप, लीकेज, ज्वाइंटिंग, शेष गृह जल संयोजन आदि के कार्य प्रभावित हो रहे है।

<u>**कार्यदायी संस्था मेसर्स एच0एफ0सी0एल0:–**</u> संस्था को मई–जून माह में 53 नग योजनाओं में जलापूर्ति कराये जाने का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष संस्था द्वारा 44 नग योजनाओं में जलापूर्ति प्रारम्भ करा दी गयी थी परन्तु आज दिनांक 14.07.2025 में योजनाओं की संख्या घटकर 36 हो गयी है। माह मई–जून में जलापूर्ति प्रारम्भ करायी गयी 44 नग योजनाओं में सम्मिलित 14888 गृह जल संयोजनों के सापेक्ष मात्र 8988 नग प्रदान किये गये जिसमें मात्र 3600 नग क्रियाशील है। जो कि प्रस्तावित गृह जल संयोजनों का मात्र 24.18 प्रतिशत है। जबकि दिनांक 02.07.2025 की बैठक में आपका यह प्रतिशत 27.13 प्रतिशत था अर्थात गृह जल संयोजनों में जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने का प्रतिशत पूर्व से और कम हो गया है जबकि जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक में जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिये गये थे कि यह प्रतिशत बढ़ाकर कम से कम 80 प्रतिशत किया जाय। अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण) द्वारा अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था के द्वारा पर्याप्त संख्या में मैनपावर, फिटर, पलम्बर आदि न लगाये जाने के कारण योजना में विद्यमान गैप, लीकेज, ज्वाइंटिंग, शेष गृह जल संयोजन आदि के कार्य प्रभावित हो रहे है।

अन्त में अधिशासी अभियन्ता, जल निगम(ग्रामीण) को निर्देशित किया गया कि जलापूर्ति प्रारम्भ की गयी योजनाओं में सम्बन्धित सहायक अभियन्ता एवं जू0इं0 के द्वारा प्रतिदिन के आधार पर अनुश्रवण किया जाय जिसकी प्रतिदिन की रिपोर्ट तैयार की जाय। साथ ही यह भी निर्देश दिये गये कि इन योजनाओं में डायरेक्ट पम्पिंग के माध्यम से कम से कम 80 प्रतिशत जलापूर्ति प्रारम्भ कराये जाने हेतु योजनावार पृथक रूप से मैनपावर की आवश्यकता की गणना करते हुए उनमें प्रतिदिन के हिसाब से कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा लगाये गये मैनपावर की रिपोर्ट तैयार करते हुए पुनः दिनांक 15.07.2025 को सुबह 10:30 बजे तक समस्त अभियन्ताओं, टी0पी0आई0, कार्यदायी संस्थाओं के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायें।

14.7.25

(सन्तोष कुमार वैश्य)
मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर

पृ0सं0– / / दिनांक:

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजीपुर।
2. मुख्य अभियन्ता(वारा0क्षेत्र), उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
3. अधीक्षण अभियन्ता, मण्डल कार्यालय उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), वाराणसी।
4. अधिशासी अभियन्ता, खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
5. समस्त सहायक अभियन्ता/जू0इं0 खण्ड कार्यालय, उ0प्र0 जल निगम(ग्रामीण), गाजीपुर।
6. समस्त कार्यदायी संस्था, डी0पी0एम0–टी0पी0आई0, गाजीपुर।

मुख्य विकास अधिकारी
गाजीपुर